अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(1ग) "अपर आयुक्त" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(1घ) "अपर निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(ख) खंड (7क) में,—

(i) "सुसंगत अधिकारिता निहित है और ऐसा" शब्दों के पश्चात्, ", अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (9क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1988 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(9ख) "सहायक निदेशक" से धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(घ) खंड (14) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ii) वैयक्तिक चीज बस्त, अर्थात् ऐसी जंगम संपत्ति (जिसके अंतर्गत पहनने के कपड़े और फर्नीचर हैं), जो निर्धारिती या उस पर आश्रित उसके कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए धारित है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) आभूषण ;

(ख) पुरातत्वीय संकलन ;

(ग) रेखाचित्र ;

(घ) रंगचित्र ;

(ङ) मूर्तियां ; या

(च) कोई अन्य कलाकृति ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "आभूषण" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) सोना, चांदी, प्लेटिनम या किसी अन्य बहुमूल्य धातु या ऐसी एक या अधिक बहुमूल्य धातुओं को अंतर्विष्ट करने वाली मिश्रातु से बने आभूषण, चाहे उनमें रत्न या उपरत्न हों या नहीं और चाहे किसी पहनने के कपडों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ;

(ख) रत्न या उपरत्न, चाहे किसी फर्नीचर, बर्तन या अन्य वस्तु में जड़े गए हों या नहीं या किसी पहनने के कपडों में लगाए गए हों या सिले गए हों या नहीं ;';

(ङ) खंड (24) के उपखंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiv) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई राशि ;';

(च) खंड (25क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 25 अगस्त, 1976 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'(25क) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न-तट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ;' ।

1976 का 80

4. आय-कर अधिनियम की धारा 7 के खंड (iii) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 7 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 1976 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 9 का संशोधन।

"स्पष्टीकरण —शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां आय उपधारा (1) के खंड (v), खंड (vi) और खंड (vii) के अधीन भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाती है वहां ऐसी आय अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी चाहे अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध हो अथवा नहीं ।"।

6. आय कर अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन।

(क) खंड (10खख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(10खग) किसी व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि, उस सीमा तक, उस प्राप्त या प्राप्य राशि को छोड़कर, जिस तक ऐसे व्यष्टि या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से हुई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है ।

2005 का 53

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आपदा" पद का वही अर्थ है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (घ) में है ;';

(ख) खंड (15),—

(क) उपखंड (iv) की मद (चक) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

1955 का 23
1959 का 38
1970 का 5
1980 का 40
1934 का 2

'**स्पष्टीकरण**—इस मद के प्रयोजनों के लिए, "अनुसूचित बैंक" पद से, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक या ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, किंतु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है ;';

(ख) उपखंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(vii) ऐसे बंधपत्रों पर ब्याज जो—

(क) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा जारी किए गए हैं ; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

स्पष्टीकरण— इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "राज्य पूलकृत वित्त एकक" पद से ऐसा एकक अभिप्रेत है जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किया जाता है ।';

(ग) खंड (23खखघ) में, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत सात पूर्ववर्षों के लिए" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत दस पूर्ववर्षों के लिए" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (23खखच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(23खखछ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की कोई आय ;" । 2003 का 36

(ङ) खंड (23ग) में, 1 जून, 2007 से,—

(अ) उपखंड (iv) में, "जिसे केन्द्रीय सरकार उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "जिसे विहित प्राधिकारी उस निधि या संस्था के उद्देश्यों को और समस्त भारत में या किसी समस्त राज्य या राज्यों में उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (v) में, "जिसे केन्द्रीय सरकार उस रीति को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "जिसे विहित प्राधिकारी उस रीति को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि विहित प्राधिकारी, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का अनुमोदन करने से पूर्व, यथास्थिति, निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों (जिनके अंतर्गत संपरीक्षित वार्षिक लेखा भी हैं) या जानकारी की मांग कर सकेगा जिन्हें वह, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और विहित प्राधिकारी ऐसी जांच भी कर सकेगा जिन्हें वह इस निमित्त आवश्यक समझे :";

(ई) नौवें परंतुक में, "उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन" शब्दों के स्थान पर "उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन" शब्द रखे जाएंगे ;

(उ) तेरहवें परन्तुक में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ऊ) पन्द्रहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि ऐसे सभी लंबित आवेदन जिनके संबंध में, उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना 1 जून, 2007 से पूर्व जारी नहीं की गई है, उस तारीख को विहित प्राधिकारी को अंतरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों पर, उन उपखंडों के अधीन उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस पर वे उस तारीख को थे ;";

(च) खंड (23ङख) के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23ङग) भारत में वस्तु एक्सचेन्जों द्वारा या तो संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की, वस्तु एक्सचेन्जों और उसके सदस्यों से अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई आय, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु जहां कोई ऐसी रकम जो निधि में जमा है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान आय-कर से प्रभारित नहीं की गई है, किसी वस्तु एक्सचेन्ज के साथ पूर्णतः या भागतः बांटी जाती है, वहां इस प्रकार बांटी गई संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें ऐसी रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार आय-कर से प्रभार्य होगी ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु एक्सचेन्ज" से अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 2 के खंड (ञञ) में यथा परिभाषित "रजिस्ट्रीकृत संगम" अभिप्रेत है ;'; 1952 का 74

(छ) खंड (23चख) में 1 अप्रैल, 2008 से,—

(i) "विनिधान के लिए निधियां जुटाने के लिए स्थापित" शब्दों के स्थान पर, "विनिधान से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसी देशी कंपनी अभिप्रेत है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो —

(i) निम्नलिखित के कारबार,—

(अ) नैनो प्रौद्योगिकी ;

(आ) हार्डवेयर और साफ्टवेयर विकास से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी ;

(इ) बीज अनुसंधान और विकास ;

(ई) जैव-प्रौद्योगिकी ;

(उ) भेषज सेक्टर में नए रासायनिक एककों का अनुसंधान और विकास ;

(ऊ) जैव ईंधन का उत्पादन ; या

(ए) तीन हजार से अधिक बैठने की न्यूनतम क्षमता वाले संयुक्त होटल एवं कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण और प्रचालन करने ; या

(ii) दुग्ध या कुक्कुट उद्योग,

में लगी हुई है ;" ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 10 फरवरी, 2006 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:— धारा 10कक का संशोधन।

"(4) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो इकाई है, और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(i) इसने किसी विशेष आर्थिक जोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन करना अथवा सेवाएं प्रदान करना आरंभ किया है या आरंभ करता है ;

(ii) यह पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है :

परंतु यह शर्त ऐसे उपक्रम, के संबंध में लागू नहीं होगी जो इकाई है, और जो निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है ;

(iii) वह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है।

स्पष्टीकरण—धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में 1 जून, 2007 से,— धारा 12क का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"धारा 11 और 12 के लागू होने के लिए शर्तें ।";

(ख) विद्यमान धारा 12क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए किसी आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे ;";

(ii) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किया है और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;";

(ग) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां कोई आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होंगे ।" ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में 1 जून, 2007 से,— धारा 12कक का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "खंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात्, "या उपधारा (1) का खंड (कक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,— धारा 17 का संशोधन।

(क) खंड (1) के उपखंड (viii) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (2) में,—

(अ) उपखंड (ii) के पश्चात्,—

(i) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि,—

(क) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और,—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के दस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, आवास का मूल्य जो संदत्त पट्टे के किराए की संदत्त वास्तविक रकम है या उसके द्वारा संदेय किराए की वास्तविक रकम है, या वेतन का दस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ख) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है ;

(ग) ऐसे मामलों में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है, और—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है और खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास निर्धारिती के पूर्ववर्ष के दौरान अधिभोग में है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, खंड (क) के उपखंड (ii) के अधीन अवधारित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(घ) ऐसे मामले में जहां आवास नियोजक द्वारा किसी होटल में दिया जाता है, (सिवाय वहां के जहां निर्धारिती को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता है), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य उक्त फर्नीचर की (जिसके अंतर्गत टेलीविजन सेट, रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर, या अन्य घरेलू साधन, वातानुकूलन संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य साधन या जुगत हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है तो उसके लिए संदेय वास्तविक किराए के प्रभारों में से पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय कोई प्रभार घटाकर लागत का दस प्रतिशत वार्षिक होगा।";

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और,—

(i) आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के बीस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;

(ii) नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम या वेतन का बीस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;";

(आ) उपखंड (iii) के परंतुक का 1 अप्रैल, 2008 से लोप किया जाएगा ।

धारा 35 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ix) में, "चेक द्वारा संदत्त" शब्दों के स्थान पर, "नकद से भिन्न संदाय के किसी ढंग द्वारा संदत्त" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (viiक) में,—

(क) खंड (क) में, "या किसी अननुसूचित बैंक" शब्दों के पश्चात्, "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में, स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ii) में, "किंतु इसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(vi) "सहकारी बैंक" , "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं ;';

(इ) खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(viii) किसी विनिर्दिष्ट एकक द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षिति की बाबत कोई रकम, जो उस आरक्षित खाते को अग्रनीत "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के (इस खंड के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व) अधीन संगणित पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है :

परंतु जहां उन रकमों का योग, जो ऐसे आरक्षित खाते को समय-समय पर अग्रनीत की जाती रही हों, विशेष एकक की, यथास्थिति, समादत्त पूंजी की दो गुनी रकम और साधारण आरक्षितियों से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस खंड के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस खंड में,—

(क) "विनिर्दिष्ट एकक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

1956 का 1

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय निगम ;

(ii) कोई वित्तीय निगम, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ;

(iii) कोई बैंककारी कंपनी ;

(iv) प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न सहकारी बैंक ;

(v) आवास वित्त कंपनी ; और

(vi) कोई अन्य वित्तीय निगम, जिसके अंतर्गत पब्लिक कंपनी भी है ;

(ख) "पात्र कारबार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) खंड (क) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (iv) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (v) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

(iii) खंड (क) के उपखंड (vi) में वर्णित विनिर्दिष्ट एकक के संबंध में भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार ;

1949 का 10

(ग) "बैंककारी कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है और इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में वर्णित कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है ;

(घ) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और विकास बैंक" के वही अर्थ हैं जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में हैं ;

(ङ) "आवास वित्त कंपनी" से ऐसी पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है, जो आवास प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में विरचित या रजिस्ट्रीकृत है ;

1956 का 1

(च) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ;

(छ) "अवसंरचना सुविधा" से अभिप्रेत है,—

(i) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित कोई अवसंरचना सुविधा या इसी प्रकार की कोई अन्य पब्लिक सुविधा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की जाए और जो उन शर्तों को पूरा करती हो, जो विहित की जाएं ;

(ii) धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (vi) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम; और

(iii) धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कोई उपक्रम ;

(ज) "दीर्घकालिक वित्त" से ऐसा कोई उधार या अग्रिम अभिप्रेत है, जहां वे निबंधन जिनके अधीन ऐसा धन उधार या अग्रिम दिया जाता है, पांच वर्ष से अन्यून की अवधि के दौरान ब्याज सहित उसके प्रतिसंदाय के लिए उपबंध करते हैं ;';

(ई) खंड (x) का 1 अप्रैल, 2008 से लोप किया जाएगा ;

(उ) खंड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), यदि,—

(क) वह किसी केंद्रीय,राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा गठित या स्थापित है ;

(ख) ऐसा निगम या निगमित निकाय, है जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ; और

(ग) उक्त व्यय उस अधिनियम द्वारा, जिसके अधीन वह गठित या स्थापित किया जाता है, प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपगत किया जाता है ;";

(ऊ) खंड (xiii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiv) किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा लघु उद्योगों के लिए ऐसे उधार गारंटी निधि न्यास को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिदाय के रूप में संदत्त कोई रकम ।

1956 का 1

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ।'।

धारा 40क का संशोधन। **13.** आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3)(क) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक की राशि का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में अनुज्ञा दी गई है और तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसका संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से किए जाने के बजाय अन्य रीति में करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे तथा तदनुसार, यदि संदाय की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी:

परंतु जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों और ऐसी परिस्थितियों के अधीन जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं की प्रकृति और सीमा तथा कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा।" ।

धारा 49 का संशोधन। **14.** आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2कक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(2कख) जहां पूंजी अभिलाभ विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों के अंतरण से उद्भूत होता है, जिनकी कीमत को धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना करते समय ध्यान में रखा गया है वहां ऐसी प्रतिभूति या शेयरों के अर्जन की लागत उस खंड के अधीन मूल्य होगी ।"।

धारा 54डग का संशोधन। **15.** आय-कर अधिनियम की धारा 54डग में,—

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु किसी निर्धारिती द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई विनिधान पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो ।";

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो,—

(i) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ; या 1988 का 68

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, 1956 का 1

1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किंतु 31 मार्च, 2007 को या उससे पूर्व जारी किया गया है और इस धारा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में ऐसी शर्तों (जिनके अंतर्गत ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्त भी है) के साथ, जिन्हें वह ठीक समझे, अधिसूचित किया गया है :';

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ख) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अप्रैल, 2006 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां कोई बंधपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में खंड (ख) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित किया गया है, वहां ऐसा बंधपत्र इस खंड के अधीन अधिसूचित किया गया बंधपत्र समझा जाएगा ।";

(iii) इस प्रकार अंतःस्थापित परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए, "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है ।'। 1988 का 68 1956 का 1

धारा 56 का संशोधन। **16.** आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (v) के परंतुक में, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2005 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से ; या

(च) धारा 10 के खंड (23ग) में निर्दिष्ट किसी निधि या प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था या किसी न्यास अथवा संस्था से; या

(छ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से।" ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 72क का संशोधन।

"(1) जहां,—

(क) किसी औद्योगिक उपक्रम या पोत या किसी होटल की स्वामी किसी कंपनी का किसी अन्य कंपनी से ; या

1949 का 10 (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का किसी विनिर्दिष्ट बैंक से ; या

(ग) वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों का उसी प्रकार के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से,

समामेलन हुआ है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, समामेलक कंपनी की संचित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन किया गया था, समामेलित कंपनी के आमेलित न किए गए अवक्षयण के लिए, यथास्थिति, हानि या मोक माने जाएंगे और अवक्षयण के लिए हानि या मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।"।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80कग में, "धारा 80झग" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 80झघ" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80कग का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ में,— धारा 80गगघ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 80घ का संशोधन।

(क) "उसके द्वारा चेक द्वारा संदत्त" शब्दों के स्थान पर, "उसके द्वारा नकद से भिन्न संदाय की किसी रीति से संदत्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (ii) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) परंतुक में,—

(i) "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पन्द्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 80ङ का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, "जारी रखने के प्रयोजन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या अपने नातेदार की उच्चतर शिक्षा के प्रयोजन के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) किसी व्यष्टि के संबंध में "नातेदार" से उस व्यष्टि की पत्नी या पति और बालक अभिप्रेत है ।" ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,— धारा 80झक का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, "आधुनिकीकरण करता है" शब्दों के पश्चात् "या बिछाता है और क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का प्रचालन करना आरंभ करता है" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "खंड (iv)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (iv) या खंड (vi)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (4) में, 1 अप्रैल, 2008 से,—

(अ) खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में, "या अंतर्देशीय पत्तन" शब्दों के स्थान पर ", अंतर्देशीय पत्तन या समुद्र में नौ चालन चैनल" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (v) के उपखंड (ख) में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2008" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) खंड (v) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(vi) क्रास-कन्ट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइप लाइनें और भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो ऐसे नेटवर्क का आंतरिक भाग है, बिछाने और प्रचालन के कारबार करने वाला कोई उपक्रम, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(क) वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है ;

2006 का 19 (ख) उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ;

(ग) उसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य, वाहन पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है ;

(घ) उसने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन करना आरंभ किया है या करता है ; और

(ङ) कोई अन्य शर्त, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के संबंध में, किसी "सहयुक्त व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है—

(i) जो निर्धारिती के प्रबंध या नियंत्रण या पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक मध्यवर्तियों के माध्यम से भाग लेता है ;

(ii) जो निर्धारिती में छब्बीस प्रतिशत से अन्यून मतदान की शक्ति वाले शेयरों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से धारित करता है ;

(iii) जो निर्धारिती के शासक बोर्ड के आधे से अधिक निदेशक बोर्ड या सदस्यों अथवा शासक बोर्ड के एक या अधिक कार्यकारी निदेशकों या कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति करता है ; या

(iv) जो निर्धारिती के कुल उधारों के दस प्रतिशत से अन्यून की गारंटी देता है ;

(iv) उपधारा (12) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(12क) उपधारा (12) की कोई बात ऐसे उद्यम या उपक्रम को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् समामेलन या विलयन की किसी स्कीम में अंतरित किया जाता है ।";

(v) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो, यथास्थिति, उपक्रम या उद्यम के साथ करार की गई संकर्म संविदा निष्पादित करता है ।"।

धारा 80झख का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख की उपधारा (4) के चौथे परंतुक में, "31 मार्च, 2007" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2012" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

नई धारा 80झघ का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80झग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों और कंवेंशन केन्द्रों के कारबार से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती ।

'80झघ. (1) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के शत प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है, जो—

(i) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ; या

(ii) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित किसी कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व या प्रचालन के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण 1 अप्रैल, 2007 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती तभी उपलब्ध होगी जब,—

(i) पात्र कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को खंडित करके या पुनर्गठित करके नहीं बना है ;

(ii) पात्र कारबार, यथास्थिति, होटल या कन्वेंशन केन्द्र के लिए पूर्व में प्रयुक्त भवन को नए कारबार में अंतरित करके नहीं बना है ;

(iii) पात्र कारबार किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार को अंतरण करके नहीं बना है ।

स्पष्टीकरण— धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ;

(iv) आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करते हुए जो विहित की जाए और किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित संपरीक्षा की रिपोर्ट, जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है, यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है ।

(4) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, अध्याय 6क में अंतर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10कक के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(5) धारा 80झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से उपधारा (11) में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कन्वेंशन केन्द्र" से सम्मेलन और संगोष्ठियां कराने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने हेतु कन्वेंशन सभागारों वाला विहित क्षेत्र का भवन अभिप्रेत है, जिसका आकार और संख्या ऐसी है तथा जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं और सुख-सुविधाएं हैं जो विहित की जाएं ;

(ख) "होटल" से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा, तीन सितारा या चार सितारा प्रवर्ग का कोई होटल अभिप्रेत है ;

(ग) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से,—

(i) किसी होटल की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें होटल कारबार कार्य आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(ii) किसी कन्वेंशन केन्द्र की दशा में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें कन्वेंशन केन्द्र वाणिज्यिक आधार पर प्रचालन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) विनिर्दिष्ट क्षेत्र से, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अभिप्रेत हैं ।"।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक में, 1 जून, 2007 से,— धारा 92गक का संशोधन।

(i) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था किंतु उपधारा (3) के अधीन आदेश अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश किसी भी समय उस तारीख से पूर्व साठ दिन की अवधि से पहले किया जा सकेगा जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना अथवा नए सिरे से निर्धारण करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि समाप्त होती है,";

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की गणना करने के लिए अग्रसर होगा ।"।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 115ञख का संशोधन।

(क) खंड (च) में, "धारा 10क या धारा 10ख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) में, "धारा 10क या धारा 10ख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "साढ़े बारह प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत की दर से" शब्द रखे जाएंगे। धारा 115ण का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 115द का संशोधन।

"(i) किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित आय पर, पच्चीस प्रतिशत ;

(ii) किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधियों से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत ; और

(iii) किसी अन्य व्यक्ति को, द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधियों से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर बीस प्रतिशत :"।

29. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ङ में, धारा 115न के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— अध्याय 12ङ के स्पष्टीकरण का संशोधन।

'(घ) "द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि" से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के खंड (2) के उपखंड (त) में यथापरिभाषित द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि अभिप्रेत है ;

(ङ) "तरल निधि" से पारस्परिक निधि की ऐसी कोई स्कीम या योजना अभिप्रेत है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन उसके द्वारा इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तरल निधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।'। 1992 का 15

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में 1 अप्रैल, 2008 से,— धारा 115बख का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ग) में, "कोई अभिदाय" शब्दों के स्थान पर, "कोई अभिदाय ; और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत पूर्व कर्मचारी भी हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए गए स्वेट साधारण शेयर ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं तथा उनके अंतर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है ; 1956 का 42

(ii) "स्वेट साधारण शेयरों" से किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को डिस्काउंट पर या नकदी से भिन्न प्रतिफल के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य वर्धन, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, की प्रकृति के अधिकारों के बारे में जानकारी देने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए साधारण शेयर अभिप्रेत हैं ।';

(आ) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (v) में "कलाकार नामपट्टों" शब्दों के स्थान पर, "कलाकार नामपट्टों, उत्पादों के प्रदर्शन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (vii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) जो नमूनों के वितरण पर या तो निःशुल्क या रियायती दर पर व्यय है ; और," ।

धारा 115बग का संशोधन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115बग की उपधारा (1) में खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) कर्मचारी द्वारा विकल्प के प्रयोग की तारीख को धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्रतिभूति या शेयरों की बाबत संदत्त या उससे वसूल की गई रकम को घटा दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "उचित बाजार मूल्य" से उस ढंग से अवधारित मूल्य अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए ;' ।

धारा 115बञ का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115बञ की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) वर्तमान आनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर निम्नलिखित द्वारा संदेय होगी—

(क) ऐसी सभी कंपनियां, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी है और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम नीचे सारणी I में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी :

सारणी I

किस्त की नियत तारीख	संदेय रकम
15 जून को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून ।
15 सितंबर को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के पैंतालीस प्रतिशत से अन्यून ।
15 दिसंबर को या पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून ।
15 मार्च को या पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम ;

(ख) सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न), जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी है और प्रत्येक किस्त की नियत तारीख और ऐसी किस्त की रकम नीचे सारणी II में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी :

सारणी II

किस्त की नियत तारीख	संदेय रकम
15 सितंबर को या उससे पूर्व	ऐसे अग्रिम कर के तीस प्रतिशत से अन्यून ।
15 दिसंबर को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर के साठ प्रतिशत से अन्यून ।
15 मार्च को या उससे पूर्व	पूर्ववर्ती किस्त या किस्तों में संदत्त रकम या रकमों, यदि कोई हो, से घटाकर आए ऐसे अग्रिम कर की संपूर्ण रकम ।

(3) जहां कोई निर्धारिती किसी किस्त के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर नियत तारीख को संदेय रकम से कम है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

धारा 120 का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) में,—

(i) "शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित, "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iii) "प्रतिनिर्देश को" शब्दों के पश्चात्, "अपर आयुक्त या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 1994 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) इस प्रकार अंतःस्थापित, "अपर आयुक्त या" शब्दों के पश्चात्, "अपर निदेशक या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अक्तूबर, 1996 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ।"।

धारा 132ख का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख की उपधारा (4) के खंड (क) में, "छह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए आधा प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (9) के अंत में आए हुए परंतुक का लोप किया जाएगा और 1 जून, 2006 से लोप किया गया माना जाएगा।

नई धारा 139ग और 139घ का अंतःस्थापन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 139ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी और 1 जून, 2006 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

विवरणी के साथ दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति देने की बोर्ड की शक्ति ।

" 139ग. (1) बोर्ड ऐसे वर्ग के या वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे दस्तावेजों, विवरणों, रसीदों, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्टों या किन्हीं अन्य ऐसे दस्तावेजों को, जो धारा 139घ के सिवाय, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अन्यथा दिए जाने के लिए अपेक्षित हैं, विवरणी के साथ दिए जाने की अपेक्षा नहीं हो सकेगी, किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) धारा 139 की जैसी कि वह वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा लोप से ठीक पहले थी उपधारा (9) के परंतुक के अधीन बनाया गया कोई नियम, इस धारा के उपबंधों के अधीन बनाया गया समझा जाएगा ।

इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी का फाइल किया जाना ।

139घ. बोर्ड निम्नलिखित के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा—

(क) ऐसे वर्ग या वर्गों के व्यक्ति, जिनसे इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देने की अपेक्षा की जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी दी जा सकेगी ;

(ग) ऐसे दस्तावेज, विवरण, रसीदें, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्टें, जो इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी के साथ नहीं दी जा सकेंगी, किंतु मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ;

(घ) ऐसा कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रानिक अभिलेख, जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी को पारेषित किया जा सकेगा।"।

धारा 142 का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 142 में,—

(क) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को लेखा इस प्रकार संपरीक्षित कराने का तब तक निदेश नहीं देगा, जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।";

(ख) उपधारा (2घ) में, निम्निलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां उपधारा (2क) के अधीन संपरीक्षा के लिए कोई ऐसा निदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया जाता है, वहां किसी ऐसी संपरीक्षा के और उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है), मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं और इस प्रकार अवधारित व्ययों का केंद्रीय सरकार द्वारा संदाय किया जाएगा ।" ।

धारा 143 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के उपखंड (ii) में "ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या अन्य संगम" शब्दों के पश्चात् "या निधि या न्यास" शब्द, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 153 का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 जून, 2007 से,—

(क) उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि वह निर्धारण वर्ष, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाला निर्धारण वर्ष है या कोई पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष है और कुल आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

तो खंड (क) के उपबंध, पहले परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तैंतीस मास" शब्द रखे गए हों ।";

(ख) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के अधीन सूचना, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् तामील की गई थी और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनः संगणना के लिए कार्यवाहियों के दौरान, धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस मास" शब्द रखे गए हों ।";

(ग) उपधारा (2क) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 254 के अधीन आदेश, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्, आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है और कुल आय के नए सिरे से निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश ऐसी तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के उपबंध, दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस मास" शब्द रखे गए हों ।"।

धारा 153ख का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध, दूसरे परंतुक के खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार प्रभावी होंगें, मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तैंतीस मास" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि उस दशा में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार, 1 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश—

(i) 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है ; या

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है,

वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, दूसरे परंतुक के खंड (ii) में किसी बात के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, अंत से तैंतीस मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखाबहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से इक्कीस मास, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।"।

नई धारा 153घ का अंतःस्थापन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग में निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

तलाशी या अध्यपेक्षा के मामलों में निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होना ।

"153घ. धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्धारण वर्ष या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से निम्न पंक्ति के निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही पारित किया जाएगा ।"।

धारा 172 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"(4क) आय का निर्धारण करने वाला और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई भी आदेश उपधारा (4) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है :

परंतु जहां उपधारा (3) के अधीन विवरणी 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पूर्व दी गई है, वहां ऐसा आदेश 31 दिसंबर, 2008 से पूर्व किया जाएगा ।"।

धारा 193 का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (iv) में निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"परंतु इस खंड की कोई बात वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक के 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003 पर संदेय ब्याज को लागू नहीं होगी ;"।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, "पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होता है" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् :— धारा 194क का संशोधन।

"निम्नलिखित से अधिक नहीं होता है—

1949 का 10

(क) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता ऐसी बैंककारी कंपनी है जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ;

(ख) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है ; और

(ग) किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए :"।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2007 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 194ग का संशोधन।

"(1) किसी निवासी को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ठेकेदार कहा गया है), ठेकेदार और —

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार ; या

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी ; या

(ग) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम ; या

(घ) किसी कंपनी ; या

(ङ) किसी सहकारी सोसाइटी ; या

(च) निवास-स्थान की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिए या नगरों, कस्बों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए, अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित किसी प्राधिकरण; या

1860 का 21

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या उस अधिनियम के समान किसी विधि के अधीन, जो भारत के किसी भाग में प्रवृत्त है, रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी; या

(ज) किसी न्यास ; या

(झ) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय और

1956 का 3

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय घोषित की गई किसी संस्था ; या

(ञ) किसी फर्म ; या

(ट) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा की जाती है या संदाय की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक है,

संविदा के अनुसरण में, कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करने के समय, इनमें से पहले जो भी हो, ऐसी राशि के—

(i) विज्ञापन की दशा में, एक प्रतिशत ;

(ii) किसी अन्य दशा में दो प्रतिशत,

के बराबर रकम उस राशि में समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में काटेगा :

परन्तु कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जहां ऐसी राशि ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के निजी प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है, वहां कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त राशि पर आय-कर की कटौती करने का दायी नहीं होगा ।"।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 जून, 2007 से,— धारा 194ज का संशोधन।

(क) "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती, भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उसके पब्लिक काल आफिस के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय किसी कमीशन या दलाली के संबंध में नहीं की जाएगी ।"।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे, अर्थात् : — धारा 194झ का संशोधन।

"(क) किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए दस प्रतिशत ;

(ख) जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है वहां किसी भूमि या भवन (कारखाना भवन सहित) या भवन (कारखाना भवन सहित) से संलग्न भूमि या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए पन्द्रह प्रतिशत ;

(ग) जहां पाने वाला व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न व्यक्ति है वहां किसी भूमि या भवन (कारखाना भवन सहित) या भवन (कारखाना भवन सहित) से संलग्न भूमि या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए बीस प्रतिशत :"।

धारा 194ञ का संशोधन। **48.** आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में, "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 197क का संशोधन। **49.** आय-कर अधिनियम की धारा 197क की उपधारा (1ग) में, "और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा।

धारा 201 का संशोधन। **50.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) में, "बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या उसके किसी भाग के लिए एक प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 206क का संशोधन। **51.** आय-कर अधिनियम की धारा 206क की उपधारा (1) में, "पांच हजार रुपए से अनधिक" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपए से अनधिक, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से अनधिक" शब्द 1 जून, 2007 से रखे जाएंगे ।

धारा 206ग का संशोधन। **52.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1ग) में, सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "खनन और खदान क्रिया" में खनिज तेल की खनन और खदान क्रिया सम्मिलित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं ।' ।

धारा 245क का संशोधन। **53.** आय-कर अधिनियम की धारा 245क में, 1 जून, 2007 से,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "मामला" से इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष या निर्धारण वर्षों की बाबत किसी व्यक्ति के निर्धारण की ऐसी कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, जो उस तारीख को, जिसको धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हो :

परंतु ,—

(i) धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना की कोई कार्यवाही ;

(ii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में धारा 153क के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों में से किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही ;

(iii) धारा 153क या धारा 153ग में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही ;

(iv) धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में नया निर्धारण करने की कार्यवाही,

इस खंड के प्रयोजनों के लिए निर्धारण की कार्यवाही नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 148 के अधीन सूचना जारी की जाती है ;

(ii) परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी ;

(iii) परंतुक के खंड (iv) में निर्दिष्ट नया निर्धारण करने के लिए कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ की गई समझी जाएगी, जिसको धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने का आदेश पारित किया गया था ;

(iv) परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए कार्यवाही से भिन्न किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण की कार्यवाही निर्धारण वर्ष के पहले दिन से प्रारंभ की गई समझी जाएगी;';

(ख) खंड (छ) में, "अभिप्रेत है" शब्दों के पश्चात् "और इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य है जो न्यायपीठ के सदस्यों में से ज्येष्ठतम है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 245ग का संशोधन। **54.** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग में, 1 जून, 2007 से,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक,—

(i) आवेदन में प्रकट की गई आय पर संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ii) ऐसे कर और उस पर ब्याज का, जिनका, यदि वह आय आवेदन की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष आय की विवरणी में प्रकट की गई होती तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किया गया होता, आवेदन करने की तारीख को या उसके पूर्व संदाय कर दिया गया है और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। ";

(ii) उपधारा (1क) में "और धारा 245ग की उपधारा (2क) से उपधारा (2घ)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां आवेदन में प्रकट की गई आय केवल एक पूर्ववर्ष से संबंधित है, वहां,—

(i) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी नहीं दी है तो आवेदन में प्रकट की गई रकम पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसी आय कुल आय हो ;

(ii) यदि आवेदक ने उस वर्ष की कुल आय की बाबत कोई विवरणी दी है तो विवरणी में उल्लिखित कुल आय के और आवेदन में प्रकट की गई आय के योग पर कर की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा योग कुल आय हो ।";

(iv) उपधारा (1ग) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(v) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) निर्धारिती उस तारीख को, जिसको वह समझौता आयोग को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करता है, निर्धारण अधिकारी को ऐसे आवेदन की एक प्रति भेजेगा ।"।

धारा 245घ का संशोधन।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2007 से, रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर आवेदक को इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके द्वारा किए गए आवेदन को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात क्यों किया जाए और आवेदक को सुनने के पश्चात् समझौता आयोग, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर लिखित आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करेगा :

परंतु जहां समझौता आयोग द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (2क), उपधारा (2ख), उपधारा (2ग) और उपधारा (2घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2क) जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 से पूर्व किया गया था, किंतु इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 जुलाई, 2007, उपधारा (1) के अधीन आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात करने के आदेश की तारीख समझी जाएगी ।

(2ख) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत, जो उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है, उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, तीस दिन के भीतर ; या

(ii) उपधारा (2क) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत जो, उस उपधारा के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया समझा जाता है, 7 अगस्त, 2007 को या उससे पूर्व,

आयुक्त से रिपोर्ट मांगेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा।

(2ग) जहां उपधारा (2ख) के अधीन मांगी गई आयुक्त की रिपोर्ट उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दे दी गई है, वहां समझौता आयोग, रिपोर्ट के आधार पर और रिपोर्ट की प्राप्ति के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, लिखित आदेश द्वारा, प्रश्नगत आवेदन को, अविधिमान्य घोषित कर सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजेगा :

परंतु कोई आवेदन तब तक अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और कि जहां आयुक्त ने रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर नहीं दी है, वहां समझौता आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना मामले पर आगे कार्यवाही करेगा ।

(2घ) जहां धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन आवेदन 1 जून, 2007 से पहले किया गया था और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले थे, आवेदन को कार्यवाही किए जाने के लिए मंजूर करने वाला कोई आदेश, 1 जून, 2007 से पूर्व पारित किया गया है, किंतु उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें संशोधन किए जाने से ठीक पहले थे, कोई आदेश 1 जून, 2007 से पूर्व पारित नहीं किया गया था, वहां ऐसा आवेदन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे आवेदन में प्रकट की गई आय पर अतिरिक्त कर और ब्याज का संदाय, समझौता आयोग द्वारा पहले अनुदत्त किसी समय विस्तारण के होते हुए भी, 31 जुलाई, 2007 को या उसके पूर्व नहीं किया जाता है ।";

(iii) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2007 से रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) समझौता आयोग,—

(i) ऐसे आवेदन की बाबत, जिसे उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित नहीं किया गया है ; या

(ii) उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदन की बाबत, जिसको उस उपधारा के अधीन आगे कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है,

आयुक्त से अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसे अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, यदि समझौता आयोग की यह राय है कि मामले में कोई और जांच या अन्वेषण आवश्यक है, वह आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण करने या कराने के लिए और आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर तथा मामले से संबंधित किसी अन्य विषय पर रिपोर्ट देने का निदेश दे सकेगा और आयुक्त समझौता आयोग से संसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट देगा :

परंतु जहां आयुक्त पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं देता है, वहां समझौता आयोग ऐसी रिपोर्ट के बिना भी उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।";

(4) अभिलेख और आयुक्त की,—

(i) उपधारा (2ख) या उपधारा (3), या

(ii) उपधारा (1) के उपबंधों, जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनमें किए गए संशोधन से ठीक पहले थे,

के अधीन दी गई रिपोर्ट की, यदि कोई हो, परीक्षा के पश्चात् और आवेदक तथा आयुक्त को, व्यक्तिगत रूप से अथवा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्, जो उसके समक्ष रखा जाए या उसे अभिप्राप्त हो, समझौता आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, आवेदन के अंतर्गत आने वाले विषयों पर और मामले से संबंधित किसी ऐसे अन्य विषय पर, जो आवेदन के अंतर्गत नहीं है, किंतु उसका आयुक्त की रिपोर्ट में उल्लेख है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे ।

(4क) समझौता आयोग,—

(i) उपधारा (2क) या उपधारा (2घ) में निर्दिष्ट आवेदन की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व,

(ii) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन की बाबत, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन किया गया था, नौ मास के भीतर,

उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।";

(iv) उपधारा (6क) में, "पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए एक सही एक बटा चार प्रतिशत" शब्द 1 अप्रैल, 2008 से रखे जाएंगे ।

धारा 245घघ का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 245घघ की उपधारा (2) के परंतुक में, ", किन्तु बढ़ाई गई कुल अवधि, किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों का, 1 जून, 2007 से लोप किया जाएगा ।

धारा 245ङ का संशोधन।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 245ङ के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि समझौता आयोग द्वारा ऐसे किसी मामले में, जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन 1 जून, 2007 के पश्चात् किया जाता है, कोई कार्यवाही पुनः नहीं खोली जाएगी।"।

धारा 245च का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 245च की उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 245ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया है, वहां समझौता आयोग को उस तारीख से, जिसको आवेदन किया गया था, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी :

परंतु यह और कि जहां—

(i) 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया गया कोई आवेदन, धारा 245ग की उपधारा (1) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है ; या

(ii) किसी आवेदन को, यथास्थिति, धारा 245घ की उक्त उपधारा (2क) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है या उस धारा की उपधारा (2ग) के अधीन अविधिमान्य घोषित किया जाता है ; या

(iii) किसी आवेदन को धारा 245घ की उपधारा (2घ) के अधीन आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है,

वहां समझौता आयोग को ऐसे आवेदन के संबंध में, उस तारीख तक जिसको, यथास्थिति, आवेदन को नामंजूर किया जाता है या कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है अथवा अविधिमान्य घोषित किया जाता है या आगे और कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी अनन्य अधिकारिता होगी ।"।

धारा 245ज का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 245ज की उपधारा (1) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए कोई आवेदन किया है, भारतीय दंड संहिता के अधीन या इस अधिनियम और धन-कर अधिनियम, 1957 से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति नहीं देगा ।" 1860 का 45 1957 का 27